

पृ० क्रमांक 7226-30/शिकायत

दिनांक 11/3/19

इसकी एक प्रति निम्नलिखित अधिकारियों को भेजकर अनुरोध है कि जिला लोक सम्पर्क एवं परिवाद समिति की बैठक दिनांक 07.03.2019 को सांय 03:00 बजे होनी निश्चित हुई है। एजेण्डा की प्रति आपकी सेवा में भेजी जा रही है। अपने से सम्बन्धित शिकायत की जांच करके अपना जवाब आज ही इस कार्यालय में भिजवाये ताकि आपका जवाब माननीय मंत्री महोदय को बैठक में प्रस्तुत किया जा सके।

1. पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद।
2. अतिरिक्त उपायुक्त फरीदाबाद।
3. आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद।
4. उपमण्डल अधिकारी (ना०) बल्लबगढ।
5. उपमण्डल अधिकारी (ना०) बड़खल।

कृते: उपायुक्त फरीदाबाद।

गौतमीय श्री मनीष कुमार श्रोवर, मंत्री हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 07.03.2018 को सांय 03:00 बजे हुआ कन्वन्सन हाल, सैक्टर-12, फरीदाबाद क सभागार में होने वाली जिला लोक सम्पर्क एवं परिवार समिति की बैठक में विचार विमर्श के लिए रखे गए परिवारों का विवरण:-

क्र0 सं0	परिवादी का नाम	परिवाद का विवरण
पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद।		
1	श्री अग्रिम जैन तथा एस0सी0 जैन पिता अग्रिम जैन मो0 नं0 95811888, 9811568579	परिवादीगण की शिकायत है कि श्री मनीष कुमार जो कि Journey Voyages कम्पनी में काम करता है मेरे से एक लाख रु0 / - धोखाधडी करके दूर पर जाने के लिए अपने खाता सं0 001134894387 आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक में पैसे जमा करा लिए। श्री मनीष कुमार ने न तो मेरे पैसे वापिस किये और न ही मुझे रवत की सुविधा दी इसकी शिकायत सार्डवर सैल पुलिस लार्डन सै0 30, फरीदाबाद की गई जिसका कोई समाधान नही हुआ। अतः दोषियों के खिलाफ कार्यवाहीक करके मेरी शिकायत का समाधान करे। नोट:- (बैठक दिनांक 10.08.2018 की कार्यवाही रिपोर्ट) परिवादीगण हाजिर आये। अध्यक्ष महोदय ने पुलिस विभाग को इस शिकायत को इकनोमी सैल में भेजने के आदेश देते हुये इस शिकायत को लम्बित रखने के भी आदेश दिये। (बैठक दिनांक 27.09.2018 की कार्यवाही रिपोर्ट) परिवादी हाजिर नही हुआ, पुलिस विभाग ने उक्त शिकायत पर कार्यवाही पूर्ण करने के लिए समय मांगा। अध्यक्ष महोदय ने उन्हें समय देकर उन्हें शीघ्र कार्यवाही पूर्ण करके कार्यवाही रिपोर्ट को अगली बैठक में प्रस्तुत करने के आदेश देते हुए इस शिकायत को लम्बित रखने के आदेश दिए है।
2.	श्री पराग अरिन्होत्री निवासी मकान नं0 667, सैक्टर-16ए, फरीदाबाद। मो0 नं0 9811085554, पत्र क्रमांक 4046 / शिकायत दिनांक 12.09.2018 तथा पत्र क्रमांक 4198 / शिकायत दिनांक 13.09.2018 और पत्र क्रमांक 4227 / शिकायत दिनांक 19.09.2018	<i>The complainant said that I am the victim in the hands of Mohan Dagar and his wife Pushpa Dagar. Pushpa Dagar is a local Counsellor and under her influence, the police has cancelled FIR No. 191/2017. You are request to please revoke the cancellation of FIR and may again reinvestigate and take action against Mohan Singh Dagar and other.</i> (बैठक दिनांक 27.09.2018 की कार्यवाही रिपोर्ट) परिवादी हाजिर आया। इस विषय में अध्यक्ष महोदय ने सहायक पुलिस आयुक्त को स्वयं जांच करने के आदेश पारित किए तथा उन्होंने इस शिकायत को लम्बित रखने के आदेश दिए।